न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी अशोक सांगवा आर.ए.एस

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्या 24 / 2025 (खाद्य पदार्थ नमूना संख्या के 1561)

राजस्थान सरकार जरिये जीत सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री वचना राम खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स बंसल वैरायटी स्टोर नई धान मंडी के पीछे घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. **मैसर्स** M.L. Nagpal Industries, Plot No 5 Ricco Industries area, Anupgarh Dist. Sri ganganagar.

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(II), 51 FSSA Act 2006

—:निर्णय:— दिनांक:—16.07.2025

यह इस्तगासा **श्री जीत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी** कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26(2)(II) व **धारा 51**, के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा मे वर्णित तथ्य इस प्रकार है—

यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह दिनांक 30.09.2022 को समय दोपहर **11:00 बजे** पर निरीक्षणार्थ मैसर्स— बंसल वैरायटी स्टोर नई धान मंडी के पीछे, घडसाना पर निरीक्षण हेतु पहुंचे व निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री वचना राम को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे Musturd Oil(Pure By MLN) के बारे जानकारी चाही। इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान पर 01 लीटर वजनी सील्ड प्लास्टिक बोतल में करीब 30 नग Musturd Oil(Pure By MLN) को आमजन मे बेचान वास्ते बताया। जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से मूल 1 लीटर x 4 =4 लीटर Musturd Oil(Pure By MLN) नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म न. —5 ए भरकर देते हुए वयक्त की मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैंने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध Musturd Oil(Pure By MLN) 1 लीटर x 4 =4 लीटर विक्रेता से तय कीमत पर खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा 1 लीटर x 4 =4 लीटर का नगद भुगतान **544/—** रूपए किया तथा कशमीमा बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है व मेरे भी हस्ताक्षर है।

आवेदक तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एव मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एव समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **राजेन्द्र कुमार** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म सं 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री वचना राम खाद्यकारोबारकर्ता एव मालिक को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Musturd Oil(Pure By MLN) 1 लीटर x 4 =4 लीटर को बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। 4 बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के—1561** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक एवं गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप न **के—1561** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं मैंने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **विक्रेता राजेन्द्र कुमार** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं0 6 की छः प्रतिया तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं. 6 की पुरत पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फॉर्म नं0 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक FSSA/2022/510-11** दिनांक **04.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थय प्रयोगशाला बीकानेर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/618/एक्ट/2022/618 दिनांक 28.04.2022** के अनुसार खाद्य पदार्थ Musturd Oil(Pure By MLN) का नमूना **मिस ब्रांडेड फूड** होना पाया गया।

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर को दिनांक 06.12.2022 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। तत्पश्चात अभिहित अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की गई।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक एफएसएसए/2022/510–11 दिनांक 04.11.2022 द्वारा खाद्यकाराबारकर्ता मैसर्स बंसल वैरायटी स्टोर नई धान मंडी के पीछे, घडसाना को रेफरल लैब से जांच हेतु लिखा गया लेकिन अप्रार्थी के द्वारा जांच करवाने हेतु पत्रावली में कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा Musturd Oil(Pure By MLN) **मिस ब्रांडेड फूड** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **52 में निर्धारित है।**

श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता/मालिक को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जायें ताकि जनहित में अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय रोका जा सके।

राजस्व(ग्रुप–1) की अधिसूचना क्रमांक/प.7(27) राज/2 /2023 –06221 दिनांक 24.01.2025 के द्वारा अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर मे स्वीकृत ए.डी.एम. के पद को यथावत रखने के कारण ए.डी.एम कार्यालय का सृजन किया गया है। उक्त अनवान की पत्रावली इस न्यायालय को कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुई है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट पुनः नये नं. पर दर्ज रजिस्टर की गई।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण सिह राठौड़ व
अप्रार्थी सं 02 की ओर से अधिवक्ता तिलकराज चुघ उपस्थित आये व अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी सं.
01 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाव में कथन किया गया है कि मद सं.–01 रिकॉर्ड का तथ्य है जो कि कानूनी
विषय है जिसे साक्ष्य द्वारा परिवादी की ओर से साबित किया जाना है। मद सं.–02 में दर्ज तथ्य परिवादी की
ओर से साबित किया जाना आवश्यक है उपरोक्त सैम्पल की कथित कार्यवाही मनमाने तरीके से की गई है जो
नियमानुसार सही नही की गई है तथा सैम्पल लेने की फर्द मे किसी भी स्वतंत्र साक्षी को मौका पर नही बुलाया
गया प्रार्थी से दवाब से हस्ताक्षर करवाये गये जिन चीजों का सैम्पल लिया वो सील पैक प्रोडक्ट है इस मद को
साक्ष्य द्वारा साबित करने का दायित्व परिवादी का है। मद सं.–3 परिवादी द्वारा 480/– रूपये का भुगतान
करना व खाद्य अधिकारी के हस्ताक्षर होना में जार के पैक होने का विवरण अंकित है किसी भी पैंकिग के साथ
अप्रार्थी के द्वारा छेडछाड नही की गई है पैक वस्तु में निर्माता कम्पनी द्वारा जो खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई
जाती है वही विक्रय की जाती है इस मद में अंकित तथ्यों को परिवादी द्वारा साक्ष्य से साबित किया जाना
आवश्यक है। मद स.–4 जिस प्रकार से यह मद अंकित की गई है अस्वीकार है इस मद को भी साक्ष्य द्वारा
साबित करने का दायित्व परिवादी का है। मद सं.–5 अस्वीकार है। इस तमाम कार्यवाही में किसी भी स्वतंत्र
साक्षी को नहीं बुलाया गया है। इस तमाम कार्यवाही में भी खाद्य पदार्थ पर मूल मार्का क्या था इस फर्द में कही
अंकित नही है व परिवादी द्वारा किस मार्क की सील का उपयोग किया गया यह भी अंकित नही है। मद सं.–6
में वर्णित तथ्यों को साक्ष्य द्वारा साबित करने का भार परिवादी पर है। मद सं.–7 कानूनी है। मद स.–8 कानूनी
विषयान्तर्गत आती है जिसमें मिस ब्राण्ड फूड होना पाया गया, का विवरण अंकित है जब सम्पूर्ण परिवाद में किसी
ब्राण्ड का उल्लेख नही है व निर्माता का उल्लेख नही है तथा पैंकिग करने वाल का भी उल्लेख नही है तथा
पैकिग से किसी तरह की छेडछाड थी या ना ही उल्लेख है। इस कारण परिवाद खारिज योग्य है। मद सं.–9
अस्वीकार है परिवाद का परिवाद पत्र नियमानुसार मियाद बाहर होने से काबिल निरस्ती के है। मद सं.–10
कानूनी विषयान्तर्गत होने के कारण परिवादी द्वारा साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर साबित की जानी आवश्यक
है। मद सं.–11 अपने ही विभाग द्वारा अपने अधिकारियों से मिलीभगत कर गलत तथ्यों पर अभियोजन स्वीकृति
प्राप्त की गई है इस कारण यह मद अस्वीकार है। मद सं.–12 अस्वीकार है। मद सं.–13 में प्रार्थी का नाम पता
अस्वीकार है अन्य तथ्य अस्वीकार है। अतिरिक्त कथन मे कहा कि परिवादी द्वारा प्रार्थी की दुकान से कोई खाद्य
पदार्थ खरीद नही किया और ना ही प्रार्थी की दुकान से कोई बरामदगी हुई है प्रार्थी को मुगालता में रखकर एवं
दबाब देकर हस्ताक्षर करवाए गए है एवं उन्हीं हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करके प्रार्थी के विरूद्ध झूठा परिवाद पेश

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE

किय गया है जबकि प्रार्थी उक्त खाद्य पदार्थ की निर्माता कम्पनी एम एल नागपाल इण्डस्ट्रीज है। अतः जवाब परिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि परिवादी का परिवाद पत्र हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी सं.–02 के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मद सं.–01 परिवादी से संबंधित है मुझ अप्रार्थी को इसकी कोई नकल उपलब्ध नही करवाई गई और ना ही परिवाद पत्र की प्रति प्रदान की गई। मद सं.–2 अप्रार्थी सं.–01 से संबंधित है फार्म नं. 5 ए के संबंध में मुझ अप्रार्थी को कोई जानकारी नही है और ना ही मुझ अप्रार्थी के विरूद्ध कोई आरोप दर्ज किया गया है। मद सं.–3 अप्रार्थी सं. 01 से संबंधित है मुझ अप्रार्थी का उक्त मद में दर्ज कथनों से सरोकार नही है अस्वीकार है। मद सं.–4 अस्वीकार है क्यों कि मुझ अप्रार्थी को आदिनांक तक कोई सूचना प्रेषित नही की गई। मद सं.–5 में दर्ज कथन के संबंध में कोई जानकारी व नोटिस प्रदत नही किया गया। उक्त विधिक स्थिति के चलते यह परिवाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। मद सं. 6,7,8,9,10,11,12 अस्वीकार है। मुझ प्रार्थी के विरूद्ध समूचे परिवाद पत्र में कोई आरोप नही है ना ही मुझ अप्रार्थी का अपराध प्रथम दृष्ट्या साबित है। अभियोजन स्वीकृति की कोई सूचना मुझ अप्रार्थी को नही दी गई। विधिक प्रावधानों के तहत परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है तथा अप्रार्थी सं.–2 ने परिवाद पत्र को निरस्त कर खारिज किये जाने के योग्य है।

बहस परिवाद सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी सं. 01 व 02 द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ Musturd Oil(Pure By MLN) के नमूना जांच की खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट **क्रमांक L.S.934/Act/2022/934 दिनांक 17.10.2022** में खाद्य पदार्थ Musturd Oil(Pure By MLN) एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 52 का उल्लंघन करते हुए नमूना **के–1561 मिस ब्रांडेड फूड** पाया गया है।

अप्रार्थी सं. 01 द्वारा **मिस ब्रांडेड फूड** खाद्य पदार्थ का भण्डारण व विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(।।), 51 का उल्लंघन किया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(।।) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी सं. 02 द्वारा **मिस ब्रांडेड फूड** खाद्य पदार्थ का विनिर्माण किया गया है। अप्रार्थी सं. 01 द्वारा **मिस ब्रांडेड फूड** खाद्य पदार्थ का विनिर्माण कर, थोक विक्रेता एवं रिटेलर के माध्यम से उपभोक्ता तक उपलब्ध करवाया गया है। उपभोक्ता को **मिस ब्रांडेड फूड** खाद्य पदार्थ मिला है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि निर्माता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के सम्बन्ध में जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी सं. 01 द्वारा **मिस ब्रांडेड फूड** खाद्य पदार्थ का विनिर्माण व आगे विक्रय कर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी सं. 01 द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(।।), 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(।।), 52** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुएएफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(।।), 52** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी सं. 01 द्वारा **मिस ब्रांडेड फूड** खाद्य पदार्थ का भण्डारण व आगे विक्रय किये जाने हेतु **मैसर्स– बंसल वैरायटी स्टोर नई धान मंडी के पीछे, घडसाना** को **रूपये 30,000/–(तीस हजार रूपये)** आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है

अप्रार्थी सं. 01 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वे खाद्य पदार्थ Musturd Oil(Pure By MLN) के निर्माता एम एल नागपाल इण्डस्ट्रीज से खरीदा है व जिसका बिल भी अप्रार्थी सं.–01 के द्वारा पेश किया गया है। अप्रार्थी सं. 02 द्वारा **मिस ब्रांडेड फूड** खाद्य पदार्थ का विनिर्माण किये जाने हेतु **मैसर्स–**M L Nagpal Industries, Plot No 5 Ricco Industries area, Anupgarh Dist. Sri ganganagar **को 5000/–रूपये (पांच हजार रूपये) आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।** पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

निर्णय आज दिनांक–16.07.2025 को सुनाया गया।

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE ANUPGARH

(अशोक [illegible])
न्यायिक [illegible] अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ